भारतीय जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 हरिशंकर राम*

गोत्र का एक विस्तृत स्वरुप जनजाति है। यह खानाबदोशी जत्थे, झुण्ड, गोत्र, भ्रातृदल एवं मोइटी से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती हैं। जनजातियों को आदि समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरीजन एवं अनुसूचित जनजाति, इत्यादि नामों से जाना जाता है।

अनुसूचित जनजातियों उन जनजातियों को कहा जाता है जिनका नाम अनुसूची में दिया गया है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2011 के आंकड़ा के अनुसार 10.42 करोड़ हैं। ये देश के कमजोर वर्ग की श्रेणी में आती है। हम यहाँ अनुसूचित जनजातियों की मुख्य समस्याओं का उल्लेख करेंगे जो इस प्रकार हैं :

1. दुर्गम निवास स्थान की समस्या

लगभग सभी जनजातियों पहाड़ी भागों, जंगलों, दलदल भूमि और ऐसे स्थानों पर निवास करती है, जहाँ सड़कों का अभाव है और वर्तमान यातायात एवं संचार के साधन अभी वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उन लोगों से सम्पर्क करना एक कठिन कार्य हो गया है। यही कारण है कि वैज्ञानिक अविष्कारों के मधुर फल से वे अब तक अपरिचित ही है और उनकी आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सम्बन्धित व राजनीतिक समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है। वे अन्य संस्कृतियों से भी अपरिचित हैं।

इसके परिणामस्वरुप उनका अपना व्यक्तिगत जीवन का एक दृष्टिकोण बन गया है, जिसमें व्यापकता का अभाव है। दुर्गम निवास के कारण संचार की समस्या उत्पन्न हुई है। सड़क, डाकखाना, तारघर, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो व सिनेमा की सुविधाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पायी है। इस कारण इनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है और देश के साथ एकता के सूत्र में बंधने में बाधा उत्पन्न हुआ है।

2. सांस्कृतक सम्पर्क की समस्या

कुछ आदिवासी संस्कृति का बाह्य संस्कृतियों से सम्पर्क हुआ। इस अत्यधिक सम्पर्क ने भी कई समस्याएं खड़ी कर दी है। आदिवासियों में सांस्कृतिक सम्पर्क की समस्याओं को जन्म देने हेतु कई प्रकार के कारण उत्तरदायी है। नवीन संस्कृतियों के सम्पर्क ने भोले आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षण किया। परन्तु आदिम एवं नई संस्कृतियों के बीच इतना अन्तर है कि वे नई संस्कृतियों से अनुकूलन नहीं कर पाये। बाह्य स्वार्थी समूह जैसे– व्यापारी, ठेकेदार एवं घूसखोरों ने इन लोगों में बसकर इनके बीच नई या नवीन पारिवारिक तनावों, आर्थिक समस्याओं और शारीरिक रोगों को जन्म दिया। नवीन प्रशासन ने उनका सम्पर्क पुलिस अधिकारियों, प्रशासन एवं वन अधिकारियों आदि से कराया जिन्होंने आदिवासियों को सहानुभूति से देखने की अपेक्षा हीन भावना से देखा है। आज कई नये उद्योग–धन्धों, खानों व चाय बागानों का कार्य उन स्थानों पर होने लगा है, जहाँ आदिवासी लोग निवास करते थे। इसके परिणामस्वरुप वे नवीन औद्योगिक एवं शहरी संस्कृति के सम्पर्क में आये। इस नवीनता से अनुकूल करने में वे असमर्थ रहे। परिणामस्वरुप नवीन सांस्कृतिक समस्याओं ने जन्म लिया।

ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण अनेक आदिवासी अपनी संस्कृति को त्यागकर आधुनिक संस्कृति को ग्रहण कर लिया। वे अंग्रेजी पोशाक मादक वस्तुएं, प्रसाधन के नवीन साधनों जैसे– पाउसडर, लिपिस्टिक, इत्र, तेल आदि का प्रयोग करने लगे एवं अपने रीति–रिवाजों, प्रथाओं, युवा गृहों को त्यागने लगे और उनकी प्राचीन ललित कला का ह्रास होने लगा। जनजाति कानून एवं न्याय का स्थान नवीन कानून एवं न्याय ने ले लिया है जो उनके परम्परागत मूल्यों से मेल नहीं खाते। इस प्रकार आदिवासियों के वाह्य सांस्कृतिक समूहों से सम्पर्क के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे– भूमि

* प्रवक्ता, समाजशास्त्र, शान्ती शिक्षा निकेतन महिला महाविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

व्यवस्था की समस्या, जंगल की समस्या, आर्थिक शोषण।

3. आर्थिक समस्याएं

वर्तमान सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण एवं नवीन सरकारी नीति के कारण जनजातीय लोगों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमि सम्बन्धित सरकार की नवीन नीति के कारण जंगलों को काटने पर रोक लगा दिया गया है जिससे अनेक क्षेत्रों में शिकार करने व शराब बनाने पर भी नियंत्रण लगा दिया गया है। जिसके कारण आदिवासियों को जीवनयापन के परम्परागत तरीकों के स्थान पर नवीन तरीके अपनाने पड़े। उन्हें जंगलों से लकड़ी काटने, स्थानान्तरित खेती करने एवं अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने को मना कर दी गयी। वे बाध्य होकर अपने मूल स्थान को त्यागकर चाय बागानों, कारखानों और फैक्ट्रियों में कार्य करने के लिए चले गये। अब वे भूमिहीन कृषि श्रमिकों की मजबूरी का लाभ उठाकर ठेकेदार एवं उद्योगपति इनसे कम मजदूरी पर अधिक से अधिक कार्य लेने लगे। इन लोगों के निवास और कार्य करने की दशाएं भी सोचनीय है। इस प्रकार से इनका आर्थिक शोषण किया गया है। पहले इन लोगों की अर्थव्यवस्था में वस्तु विनियम था। अब वे मुद्रा अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। इसका लाभ व्यापारियों, वस्तुओं के विक्रेताओं और घूसखोरों ने उठाया और सीध–साधे जनजातियों को खुब ठगा। वे ऋणग्रस्त हो गये और अपनी कृषि भूमि साहूकारों को बेच दी है। जो जनजातियां कृषि कार्य में लगी हुई है। उनमें कुछ स्थानान्तरित खेती करती है। वे जंगलों में आग लगा देते हैं और फिर उस भूमि पर कार्य करते हैं। कुछ दिनों बाद वह भूमि खेती योग्य नहीं रहती तो उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर भी इसी प्रकार से कृषि करते हैं। इसका परिणाम यह होती है कि भूमि कटाव बढ़ जाता है। जंगलों में कीमती लकड़ी जल जाती है और उपज भी कम होती है। इस प्रकार कहा जाय तो जनजातियों की आर्थिक समस्या कृषि समस्या से जुड़ी हुई है।

4. सामाजिक समस्याएं

शहरी और सभ्य समाजों के सम्पर्क के कारण आदिवासियों में कई सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया है। पहले इन लोगों में विवाह युवा अवस्था में होता था। लेकिन अब बाल–विवाह होने लगे हैं। जो हिन्दुओं के सम्पर्क का परिणाम है। मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्रवेश के कारण अब इनमें कन्या मूल्य भी लिया जाने लगा है। सभ्य समाज के लोग जनजातियों में प्रचलित युवा गृहों को हीन दृष्टि से देखते हैं। युवा गृह आदिवासियों में मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति का साधन एवं शिक्षा का केन्द्र था। किन्तु यह संस्था अब समाप्त हो रही है जिसके फलस्वरूप कई हानिकारक प्रभाव पड़े हैं। जनजातियों की निर्धनता का लाभ उठाकर ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी व कर्मचारी उनकी स्त्रियों के साथ अनुचित यौन सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं जिससे वेश्यावृत्ति तथा वाह्य विवाह यौन सम्बन्ध की समस्या उत्पन्न हुई है।

5. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं

अधिकांश जनजातियां घने जंगलों, पहाड़ी भागों एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती हैं। इन क्षेत्रों में अनेक बीमारियां पायी जाती हैं। गीले एवं गन्दे कपड़े पहनने के कारण इनमें कई प्रकार के चर्म सम्बन्धित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इन लोगों में मलेरियां, पीलिया, चेचक अपच एवं गुप्तांगों की बीमारियाँ भी पायी जाती है। बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सालयों का अभाव है। डॉक्टर एवं आधुनिक दवाओं की सुविधाएं नहीं हैं। ये लोग जड़ी–बूटियों, झांड़–फूंक एवं जादू–टोनों पर विश्वास करते हैं। अधिकांश आदिवासी स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये लोग महुआ, चावल, ताड़, गुड़ आदि की शराब का प्रयोग करने लगे हैं, जो अधिक हानिकारक है। संतुलित आहार एवं विटामिन युक्त भोजन के अभाव में भी इन लोगों का स्वास्थ्य धीरे–धीरे, दिनों–दिन गिरता जा रहा है। परिणामस्वरुप इनकी कार्य–कुशलता एवं क्षमता में कमी आयी है। कई जनजातियों की तो संख्या नष्ट हो रही है, अण्डमान निकोबार की जनजातियों की जनसंख्या कम होने का प्रमुख कारण उनमें व्याप्त बीमारी है।

6. शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं

आज भी अधिकांश जनजातियों में शिक्षा का अभाव है और वे अज्ञानता के अभाव में पल रही है। अशिक्षा के कारण वे अनेक अन्धविश्वासों, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से घिरे हुए हैं। आदिवासी वर्तमान

शिक्षा के प्रति उदासीन हैं, क्योंकि यह शिक्षा उनके लिए अनुत्पादक हैं, जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। वे अपनी जनजातीय संस्कृति से दूर हो जाते हैं और अपनी मूल संस्कृति को घृणा से देखते हैं। आज की शिक्षा जीवन निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती। अतः शिक्षित व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ता है। ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों में शिक्षा प्रसार का कार्य किया है। किन्तु इसके पीछे उनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना और आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करना रहा है। अधिकांश जनजातियाँ प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाते हैं। उच्च प्राविधिक एवं विज्ञान की शिक्षा में वे अधिक रुचि नहीं रखते हैं।

7. राजनीतिक चेतना की समस्या

स्वतंत्रता के बाद संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदान कर उन्हें शासन में हिस्सेदार बना दिया गया। आज पंचायत से लेकर संसद तक के प्रतिनिधि आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। जनजातियों की परम्परागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग से की थी जिसमें अधिकांशतः वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन का कार्य करते थे। उनकी सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में प्रदत्त अधिकारों एवं नातेदारी का विशेष महत्व था। किन्तु आज वे नवीन राजनीति व्यवस्था की जानकारी प्राप्त हुई है। उन्हें भी मताधिकार प्राप्त है। वे अपनी सामाजिक–आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग हैं। वे अपनी राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग अपनी समस्याओं के समाधान के सन्दर्भ में करने लगे हैं। मध्य प्रदेश, आन्ध्र–प्रदेश, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु में इनकी राजनीतिक जागरुकता के कटु परिणाम निकले हैं। प्रशासकों, भू–स्वामियों एवं जनजाति लोगों से उनके सम्बन्ध तनावपूर्ण हुए हैं। कहीं–कहीं स्थानों पर राजनीतिक तनाव व विद्रोह उत्पन्न हुआ है। जनजाति अल्प संख्या में होने के कारण इनके मजबूरी का लाभ उठाकर लोग इनका शोषण करते हैं।

8. सीमा प्रान्त जनजातियों की समस्या

उत्तरी–पूर्वी प्रान्तों में रहने वाली जनजातियों की समस्याएं देश के विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं से कुछ भिन्न हैं। देश के उत्तर–पूर्वी प्रान्तों के नजदीक चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश है। चीन से हमारे सम्बन्ध पिछले कुछ वर्षों से अच्छे नहीं रहे हैं। बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वह भारत का कटु शत्रु रहा है। चीन एवं पाकिस्तान ने सीमा प्रान्तों की जनजातियों में विद्रोह की भावना को भड़काया है। उन्हें अस्त्र–शस्त्रों से सहायता दी है एवं विद्रोही नागा एवं अन्य जनजातियों के नेताओं को भूमिगत होने के लिए अपने यहां शरण दी है। शिक्षा एवं राजनीतिक जागृति के कारण इस क्षेत्र की जनजातियों ने स्वायत्त राज्य की मांग की है। इसके लिए उन्होंने आन्दोलन एवं बहुत संघर्ष किये हैं। अतः सबसे बड़ी समस्या सीमावर्ती भागों में निवास करने वाली जनजातियों की स्वायत्तता की मांग से निपटना है।

जनजातीय समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव

हमने ऊपर जनजातियों की समस्याओं का उल्लेख किया है। अब तक उनकी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव के लिए क्या–क्या प्रयास किया गया जो इस प्रकार है :

1. आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी परिवारों को कृषि के लिए पर्याप्त भूमि दी जाय। उन्हें कृषि के आधुनिक तरीकों से परिचित कराया जाय। स्थानान्तरित खेती पर रोक लगायी जाय। उन्हें कम ब्याज पर नवीन यन्त्रों जैसे– ट्रैक्टर, यानि सभी कृषि यंत्र को प्रदान की जाय। घरेलू उद्योग–धन्धों का विकास किया जाय। सहकारी समितियों की स्थापना व उनका विकास किया जाय। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी, अच्छे मकान एवं बिजली की व्यवस्था की जाय। कानून के द्वारा जनजातियों का आर्थिक शोषण रोका जाय जिससे वे नौकरियों में स्थान पा सकें।
2. सामाजिक समस्याओं के हल के लिए बाल–विवाह एवं कन्या मूल्य पर कानूनी या वैधानिक नियमों के रोक के साथ ही साथ इनके विरुद्ध जनमत तैयार किया जाय। युवा गृहों का पुनरुत्थान किया जाय और उनमें शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाय और बेसिक शिक्षा स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक जनजातियों को उचित छात्रवृत्ति की व्यवस्था सभी छात्रों को अनिवार्य रुप से प्रदान

किया जाय।

3. स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सालयों, डॉक्टर एवं आधुनिक दवाईयों का प्रबन्ध किया जाय। उनके लिए पौष्टिक आहार तथा विटामिन की गोलियों की व्यवस्था की जाय, क्योंकि इनमें कुपोषण से होने वाली बीमारियों को समाप्त किया जा सके। चेचेक, हैजा, पोलियों व चर्म रोग सम्बन्धी बीमारियों से मुक्त होने के लिए विशेष शारीरिक खमता को बनाये रखने के लिए विशेष टीकों का प्रबन्ध किया जाय और उन्हें स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराया जाय। इसके लिए समय–समय पर अलग–अलग स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाय। अधिक से अधिक अस्पतालों की व्यवस्था की जाय। स्कूलों, पंचायत घरों एवं युवा गृहों में दवाओं आदि की व्यवस्था किया जाय।
4. शैक्षणिक समस्या को हल करने के लिए आदिवासियों (जनजातियों) के लिए सामान्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। प्राथमिक से उच्च शिक्षा के लिए अधिक से अधिक शिक्षण संस्थाओं की स्थाना किया जाय और सभी छात्र–छात्राओं को अनिवार्य रूप से विशेषता छात्रवृत्ति की व्यवस्था केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाय। शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषा होना चाहिए और शिक्षा व्यावसायिक होना चाहिए, ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें बेकारी का सामना न करना पड़े। कृषि, पशु–पालन, मुर्गी–पालन, मधुमक्खी पालन, कीट पालन एवं अन्य प्रकार की हस्त कलाओं का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाय।
5. सांस्कृतिक समस्याओं के हल के लिए डॉ. एल्विन का मत है कि ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय जिसमें आदिम ललित–कलाओं की रक्षा की जाय। जनजातियों के लिए किये जाने वाले मनोरंजनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्हीं की प्रादेशिक भाषा में हो। इससे भाषा की समस्या भी हल होगी। धार्मिक समस्याओं के हल के लिए यह आवश्यक है कि तर्क एवं वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर धार्मिक अन्ध–विश्वासों को समाप्त किया जाय।
6. जनजातियों के उत्थान के लिए किसी भी नीति को लागू करने में ऐसे कर्मचारियों का ही सहयोग व चयन किया जाय जो इस कार्य में रुचि रखते हों और जिन्हें जनजातीय समस्याओं का ज्ञान व समाधान की विशेष क्षमता केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित करवा सके।

निष्कर्ष

उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक विकास के लिए राज्य व केन्द्र सरकार को अलग से विशेष 'जनजातीय विकास नीति' लागू की जाय, तभी इनकी समुचित विकास की गति तेज होगी।

सन्दर्भ

1. Any Collection of proliterate local groups which occupies a common, General territory, speaks a common langugae and practices a common culture is a tribe- Gillin and Gillin, Cultural Sociology, p. 282.
2. प्रो. एम. एल. गुप्ता, डॉ. डी. डी. शर्मा, समाजशास्त्र, साहित्य भवन, पृ. 421, 429–431, 441
3. Beals and Hozer: An Introduction to Anthropology, p. 227
4. Piddington, An Introduction to Social Anthropology, p. 107
5. डॉ. हरिश्चन्द्र उत्प्रेती, 'भारतीय जनजातियाँ : संरचना एवं विकास' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।